# रत का र जप The Gazette of India

# EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529] No. 529] नर्ड दिल्ली. मंगलवार. अप्रैल 22. 2008/वैशाख 2. 1930

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2008/VAISAKHA 2, 1930

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

का.आ. 901(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कम्पनियों या कम्पनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति नामक सलाहकार समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :---

श्री येजदी एच. मालेगम,

चार्टर्ड अकाउंटेंट (28-5-2008 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(2) श्री सुनील एच. तलाटी, प्रतिनिधि, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(3) सुश्री प्रीति मल्होत्रा,

प्रतिनिधि, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

(28-5-2008 तक पद धारण करेगी)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(4) श्री चंद्र वाधवा,

---सदस्य,

अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान

(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(5) श्री प्रशांत सरन,

--सदस्य.

मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक

(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

श्री ए. के. अवस्थी, (6)

---सदस्य,

महानिदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रण महालेखा (28-5-2008 तक पद धारण करेगा)

परीक्षक का नामनिर्देशिती

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(7) डा. एन. बालासुब्रमणियम,

—सदस्य.

भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलौर का नामनिर्देशिती

(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)

[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट]

(8)	श्री दिनेश वर्मा, सीआईटी (आईटीए),	—सदस्य,				
	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)				
		[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]				
(9)	श्री वेद जैन,	सदस्य,				
	दि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड	(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)				
	इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती	[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]				
(10)	श्री एस. आर. मेहता,	—संदस्य,				
	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ	(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)				
	कामर्स एंड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती	[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]				
(11)	श्री आर. के. नायर,	—-सदस्य,				
	कार्यकारी निदेशक,	(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)				
	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नामनिर्देशिती	[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]				
(12)	श्री जितेश खोसला,	सदस्य,				
	संयुक्त सचिव,	(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)				
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]				
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।						

[फा. सं. 1/5/2001-सी एल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2008

S.O. 901 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely:—

(1)	Shri Yezdi H. Malegam,	Chairperson,
` '	Chartered Accountant	(shall hold office upto 28-5-2008)
		[under clause (a) of sub-section (2)
	•	of Section 210A]
(2)	Shri Sunil H. Talati,	Member,
(2)	Representative of the Institute of	(shall hold office upto 28-5-2008)
	Chartered Accountants of India	[nominated under clause (b) of sub-
	Chartered Accountants of India	section (2) of Section 210A
(2)	Ms. Preeti Malhotra,	Member,
(3)	•	ŕ
	Representative of the Institute of	(shall hold office upto 28-5-2008)
	Company Secretaries of India	[nominated under clause (b) of sub-
		section (2) of Section 210A]
(4)	Shri Chandra Wadhwa,	Member,
	President of the Institute of Cost	(shall hold office upto 28-5-2008)
	and Works Accountants of India	[nominated under clause (b) of sub-
		section (2) of Section 210A]
(5)	Shri Prashant Saran, Chief General	Member,
	Manager-in-charge, Reserve Bank of	(shall hold office upto 28-5-2008)
	India	[nominated under clause (d) of sub-
		section (2) of Section 210A]
(6)	Shri A.K. Awasthi,	Member,
	Director General (Commercial),	(shall hold office upto 28-5-2008)
	Nominee of the Comptroller and	Inominated under clause (e) of sub-

(7)	Dr. N. Balasubramanian,	Member,
	Nominee of the Indian Institute of	(shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under
	Management, Bangalore	clause (f) of sub-section (2) of Section 210A]
(8)	Shri Dinesh Verma, CIT(ITA),	Member,
	Central Board of Direct Taxes	(shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under
		clause (g) of sub-section (2) of Section 210A]
(9)	Shri Ved Jain, Nominee of the	Member,
	Associated Chambers of Commerce	(shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under
	and Industry of India	clause (h) of sub-section (2) of Section 210A]
(10)	Shri S.R. Mehta, Nominee of the	—Member,
	Federation of Indian Chambers of	(shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under
	Commerce & Industry	clause (h) of sub-section (2) of Section 210A]
(11)	Shri R. K. Nair,	—Member,
	Executive Director,	(shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under
	Securities & Exchange Board of India	clause (i) of sub-section (2) of Section 210A]
(12)	Shri Jitesh Khosla,	Member,
	Joint Secretary,	(shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under
	Ministry of Corporate Affairs	clause (c) of sub-section (2) of Section 210A].

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL-V] JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

					<b>4</b> .
				-	
•					
				,	
				•	
•				·	
			٠		
•					
		•		•	
·					
		• ·			
					• .
		r			
			•	•	
				•	
,				•	
	•				•
the same					
			•		
		•			
•					
			*	. •	
		, · · ·			•
		•			